बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका सं0–12 / वि0–149 / 2025– 1756   पटना, दिनांक– 17.11.25

विषयः–संवेदक, श्री पंकज कुमार, ग्राम–बालू टोला, पो0–नीरपुर, थाना–बी कोठी, जिला–पूर्णिया (सूचीबद्धता संख्या–102 / 12) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत एकरारनामा सं0–SBD-01/2013-14 में निहित शर्तों के अनुरूप अधिष्ठापन सहित मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य में लापरवाही के लिए मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत संवेदक, श्री पंकज कुमार, ग्राम–बालू टोला, पो0–नीरपुर, थाना–बी कोठी, जिला–पूर्णिया (सूचीबद्धता संख्या–102 / 12) को एकरारनामा सं0–SBD-01/2013-14 में निहित शर्तों के अनुरूप शाहपुर बधौनी जलापूर्ति योजना के पुर्नगठन कार्य के तहत उच्च प्रवाही नलकूप पंप, पंप हाउस–सह–एटेन्डेंट कक्ष, स्टैण्ड पोस्ट, वितरण प्रणाली एवं सभी यांत्रिक अवयवों की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन सहित मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य में लापरवाही के लिए काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा किया गया।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–3139, दि0–17.06.2025 के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित जलापूर्ति योजना में बरती गई लापरवाही के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु उनके कार्यालय पत्रांक–2195, दि0–26.04.2025 के द्वारा संवेदक को निदेशित किया गया। परन्तु तय समय में उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। पुनः कार्यालय पत्रांक–2456, दि0–10.05.2025 के माध्यम से उक्त के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु संवेदक पुनः अपना पक्ष रखने में विफल रहे।

क्षेत्रीय मुख्य अभिंयता से प्राप्त अनुशंसा के क्रम में विभाग के स्तर से भी पत्रांक–1244, दि0– 19.08.2025 के माध्यम से संवेदक को आरोपों के संबंध में साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा दि0–26.09.2025 को अपने उपर प्रतिवेदित आरोप के संबंध में बिन्दुवार वस्तु–स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। तदोपरांत, संवेदक के स्पष्टीकरण पर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का मंतव्य प्राप्त किया गया। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–1257, दि0–8.11.25 के माध्यम से प्रतिवेदित मंतव्य में संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की पुनः सहमति दी गई।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के क्रम में संवेदक के द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों की सम्यक समीक्षा की गई, जिससे यह परिलक्षित हुआ कि संवेदक के द्वारा कृत एकरारनामा के तहत आवंटित कार्यों में यथा–उच्च प्रवाही नलकूप पंप, पंप हाउस–सह–एटेन्डेंट कक्ष, स्टैण्ड पोस्ट, वितरण प्रणाली एवं सभी यांत्रिक अवयवों की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन सहित मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य में लापरवाही बरती गई है। फलतः संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार्य योग्य नहीं माना जा सकता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत मामले में एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक हेतु बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 क (II) के आलोक में संवेदक, श्री पंकज कुमार, ग्राम–बालू टोला, पो0–नीरपुर, थाना–बी कोठी, जिला–पूर्णिया (सूचीबद्धता संख्या–102/12) को 03 वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त दण्ड के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (घ) के आलोक में एजेन्सी द्वारा 30 (तीस) दिनों के अन्दर सचिव महोदय के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अभय 17.11.25

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–149/2025–1756 पटना, दिनांक–17.11.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना /बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभय 17.11.25

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–149/2025–1756 पटना, दिनांक–17.11.25

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,/आई0 टी0 मैनेंजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेंजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

अभय 17.11.25

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12/वि0–149/2025–1756 पटना, दिनांक–17.11.25

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर/संवेदक, श्री पंकज कुमार, ग्राम–बालू टोला, पो0–नीरपुर, थाना–बी कोठी, जिला–पूर्णिया (सूचीबद्धता संख्या–102/12) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 17.11.25

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–149/2025–1756 पटना, दिनांक–17.11.25

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभय 17.11.25

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)